न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–223 सन् 2026

C.N.R.No.UPSN01–000677–2026

संदीप दूबे बालिग पुत्र गणेश दूबे उर्फ गोपीचन्द दूबे, निवासी ग्राम रामपुर चौथार, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–225 सन् 2025
धारा–85, 80(2), 115 (2) बी.एन.एस. एवं
धारा –3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे की ओर से प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–225 सन् 2025, धारा–85, 80(2), 115 (2) बी.एन.एस. एवं धारा –3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी आदर्श तिवारी ने थानाध्यक्ष ज्ञानपुर को संबोधित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि वह ग्राम छोटी खरपई, थाना छेल्हूपुर जिला प्रतापगढ़ का निवासी है। अपनी बहन प्रियंका की शादी संदीप दूबे पुत्र गणेश दूबे निवासी रामपुर चौथार, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही के साथ चार साल पहले (2021) में हिन्दू रीति–रिवाज के साथ किया था और अपनी बहन की शादी में उपहार स्वरूप तीन लाख नकद व स्वर्णाभूषण पांच लाख रूपये का दिया था। प्रार्थी की बहन प्रियंका बिदा होकर दूसरे दिन ससुराल गयी तो उसकी बहन के ससुराल के लोगों संदीप दूबे पुत्र गणेश दूबे, गणेशचन्द दूबे पुत्र स्व० नागेश दूबे, फूला देवी पत्नी गणेश दूबे, सुदामा पुत्र गणेश दूबे, प्रदीप दूबे पुत्र गणेश दूबे, काजल पत्नी प्रदीप दूबे दहेज में मोटरसाइकिल व पांच लाख रूपये नकद की मांग को लेकर बराबर उलाहना देते थे और छोटी–छोटी बातों पर मारते–पीटते थे, जिसकी शिकायत मायके आने पर उन लोगों से बताती थी। कृष्णकांत द्वारा कहा जाता था कि व्यवस्था करके दे देंगे, सब ठीक हो जायेगा लेकिन प्रियंका की ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर दिनांक–19/20.09.2025 की रात्रि को गला घोट कर हत्या कर दिये। यह सूचना लड़की के सास द्वारा दिया गया कि प्रियंका मर गयी है। जब वे लोग पहुंच कर देखे तो बाडी को सील किया गया था। खुलवाने पर लाश को देखा तो गले पर चोट के निशान थे। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण को नामित करते हुए धारा 80(2), 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन मुकदमा दिनांक 20.09.2025 को 14.25 बजे थाना ज्ञानपुर पर पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा 85 बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ।

3. मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा थाने की आख्या व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने आधार जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, रंजिशन झूठा फंसाया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट छः लोगों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। अभियुक्त घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अपने पिता गणेश दूबे उर्फ गोपीचन्द दूबे के साथ रोजी–रोजगार के सिलसिले

में मुंबई था। घटना के पश्चात् सूचना पर अभियुक्त एवं उसके पिता मुंबई से घर वापस आये हैं। अभियुक्त के पिता गणेश दूबे उर्फ गोपीचन्द की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित न होने के आधार पर ही उनका नाम लोप किया जा चुका है, किन्तु विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध घटना के समय उपस्थित न होने पर भी साजिशन उसके विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया है। प्रार्थी या उसके परिजनों द्वारा कभी भी मृतका प्रियंका को दहेज में मोटरसाइकिल व पांच लाख रूपये की मांग को लेकर न उलाहना दिया, न प्रताड़ित किया, न मारा पीटा और न ही दिनांक–19/20.09.2025 की रात्रि को गला घोट कर प्रियंका की हत्या किया। यह भी तर्क दिया गया कि मृतका शादी के चार वर्ष बीत जाने पर भी बच्चा पैदा न होने से चिंतित व परेशान रहती थी, इसी कारण उसने स्वयं फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अत: जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण / परिजनों के साथ मिलकर मृतका प्रियंका की शादी के बाद से ही उससे अतिरिक्त दहेज मे पांच लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसे उलाहना दिया जाता था और अंततः दिनांक 19/20.09.2025 मृतका प्रियंका की गला घोट कर हत्या /दहेज हत्या कर दी गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का आग्रह किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि वर्ष 2021 में मृतका प्रियंका की शादी अभियुक्त संदीप दूबे से सम्पन्न होने के बाद से ही प्रार्थी/अभियुक्त अपने अन्य परिजनों के साथ अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उलाहना देते थे और अंततः दिनांक–19/20.09.2025 की रात्रि में प्रियंका की हत्या/दहेज हत्या कर दी गयी।

7. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त मृतका प्रियंका का पति है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादी मुकदमा आदर्श तिवारी के बयान अंतर्गत धारा 180 बी० एन० एस० एस० में आया है कि प्रियंका तिवारी उसकी बड़ी बहन थी। अगुआ सोनू दूबे ने मध्यस्थता करके उसकी बहन प्रियंका की शादी वर्ष 2021 में प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे पुत्र गणेश दूबे निवासी रामपुर चौथार थाना ज्ञानपुर जिला भदोही के साथ करवाये थे। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज,स्वर्णाभूषण एवं अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। शादी के कुछ दिनों के बाद उसकी बहन के ससुराल वाले प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे (पति) एवं अन्य सहअभियुक्तगण दहेज में मोटरसाइकिल व पांच लाख रूपये नकद की मॉग को लेकर उसकी बहन प्रियंका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मारते पीटते थे और खाना पीना नहीं देते थे,यह बात उसकी बहन साक्षी की मॉ एवं पिता से रो–रोकर बताती थी। इस पर उसके माता पिता समझाते थे कि कुछ दिन शांत रहो, सब ठीक हो जायेगा। घटना के कुछ दिन पहले उसकी बहन उन लोगों से बतायी कि उसके ससुरालीजन आपस में बात करते हैं कि अब इसे रास्ते से हटा दिया जायेगा। इसके तीन–चार दिन बाद ही साक्षी के बहन की सास ने दिनांक–19/20.09.2025 की रात्रि में मोबाइल से बतायी कि प्रियंका की मृत्यु हो गयी है, इस सूचना पर वह अपने परिजनों के साथ प्रियंका की ससुराल पहुंचा तो उसकी लाश रखी हुई थी।

8. बयान गवाह मृतका के भाई अनुज तिवारी अंतर्गत धारा 180 बी० एन० एस० एस० में आया है कि प्रियंका तिवारी उसकी बड़ी बहन थी। अगुआ सोनू दूबे ने मध्यस्थता करके उसकी बहन प्रियंका की शादी वर्ष 2021 में प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे पुत्र गणेश दूबे निवासी

रामपुर चौथार थाना ज्ञानपुर जिला भदोही के साथ करवाये थे। शादी में उसके पिता जी ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज,स्वर्णाभूषण एवं अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। शादी के कुछ दिनों के बाद उसकी बहन के ससुराल वाले प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे (पति) एवं अन्य सहअभियुक्तगण दहेज में मोटरसाइकिल व पांच लाख रूपये नकद की मॉग को लेकर उसकी बहन प्रियंका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मारते पीटते थे और खाना पीना नहीं देते थे, यह बात उसकी बहन साक्षी की मॉ एवं पिता से रो–रोकर बताती थी। इस पर उसके माता–पिता समझाते थे कि कुछ दिन शांत रहो, सब ठीक हो जायेगा। घटना के कुछ दिन पहले उसकी बहन उन लोगों से बतायी कि उसके ससुरालीजन आपस में बात करते हैं कि अब इसे रास्ते से हटा दिया जायेगा। इसके तीन–चार दिन बाद ही साक्षी के बहन की सास ने दिनांक–19/20.09.2025 की रात्रि में मोबाइल से बतायी कि प्रियंका की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर वह, अपने परिजनों के साथ प्रियंका की ससुराल पहुंचा तो उसकी लाश रखी हुई थी। इसी प्रकार का बयान गवाह मृतका के पिता कृष्णकांत तिवारी ने भी अंतर्गत धारा 180 बी० एन० एस० एस० में दिया है।

9. पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा के राय पंचान में आया है कि मृतका प्रियंका की मृत्यु गले में साड़ी का फंदा लगाने का निशान पड़ा हुआ है, इससे प्रतीत हो रहा है कि फांसी लगाने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर मल्टीपल , कन्ट्यूजन एवं लिगेचर मार्क सहित निम्नलिखित नौ चोटें आना दर्शित है–

Injury No.1, MULTIPLE SMALL ABRASION OVER THE LEFT SIDE OF NECK (LARGEST MEASURING 0.5CM X 0.5CM), 6.0 CM BELOW THE LEFT MASTOID PROCESS

Injury No.2, MULTIPLE ABRASION OVER RIGHT SIDE OF UPPER CHEST, 10.0 CM ABOVE 2 FROM RIGHT NIPPLE

Injury No.3, CONTUSION SIZE 7.0 CM X 8.0 CM OVER THE RIGHT BREAST REGION, 2.0 CM 3 MEDIAL FROM RIGHT NIPPLE

Injury No.4, CONTUSION OF SIZE 5.0 CM X 2.0 CM OVER THE LEFT BREAST REGION, 2.0 4 CM MEDIAL FROM LEFT NIPPLE

Injury No.5, CONTUSION OF SIZE 12.0 CM X 7.0 CM OVER THE ABDOMEN, 3.5 CM ABOVE 5 FROM UMBILICUS IN THE MIDLINE

Injury No.6, CONTUSION OF SIZE 12.0 CM X 2.0 CM, 1.0 CM BELOW FROM UMBILICUS

Injury No.7, CONTUSION OF SIZE 13.0 CM X 8.0 CM OVER THE FRONT OF RIGHT THIGH, 9.0 CM ABOVE RIGHT KNEE JOINT,

Injury No.8, CONTUSION OF SIZE 18.0 CM X 11.0CM OVER THE FRONT OF LEFT THIGH, 10.0 CM ABOVE LEFT KNEE JOINT, SKIN ABRADED OF SIZE 0.5CM X 0.2CM

Injury No.9, LIGATURE MARK OBLIQUELY PLACED OF SIZE 26.0 CM x 3.0 CM IN FRONT OF 9 NECK PASSING THROUGH ABOVE THYROID CARTILAGE WITH THE GAP OF 11.0 CM IN LEFT SIDE OF NECK. THE DISTANCE FROM RIGHT MASTOID PROCESS IS 6.0 CM AND 7.0 CM FROM LEFT MASTOID PROCESS AND 4.5 CM BELOW FROM MID OF CHIN. THE COLOUR OF LIGATURE MARK IS BROWNISH तथा मृत्यु का कारण ASPHYXIA ANTE–MORTEM HANGING अंकित है।

10. थाने की आख्यानुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर

अतिरिक्त दहेज की मांग करने, मांग पूरी न होन पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करत हुए मृतका प्रियंका को मारपीट कर दहेज मृत्यु कारित किया गया। इस प्रकार मृतका प्रियंका की अस्वाभाविक मृत्यु उसकी ससुराल में शादी के चार वर्ष के अन्तराल पर ही हुई है। अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

11. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं दण्ड की गंभीरता आदि के दृष्टिगत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकर किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

12. तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त संदीप दूबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश,
भदोही।
J.O.CodeNo.– UP 5725

दिनांक–10.03.2026

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.10 17:44:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court